सी.आर.पी. अधिनियम [illegible]
पारी है। अपराध सं. 1, 4, 5 आदि
भी न्यायालय में उपस्थित नहीं।
बार-बार आदेश जारी किये।
अपराधी राजस्थान में उपस्थित
नहीं। अपराधी सं. 1, 4, 5 के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
पत्रावली वास्ते तलबी निकाल
19-2-21 को पेश हो।

19.2.21 वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी द्वारा
जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 0-23 नियम
1 पेश कर निवेदन किया कि इस प्रा.पत्र
को इसी स्तर पर निरस्त किया जाकर प्रार्थी
को नया प्रकरण पेश करने की अनुमति
प्रदान की जावे। प्रार्थी को सुना गया। फाइलों
का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र अधीन 23 नियम 1 के स्वीकार
किया जाकर हस्तगत प्रकरण को खारिज
किया जाता है एवं प्रार्थी को नया प्रकरण प्रस्तुत
करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली
दायरा नम्बर ले कर होकर बादतकमील जाब्ता
दाखिल अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर